

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :-


क्र.सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र. सं	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	15.03.19	3	2	प्रधानाध्यापक, राबाउमावि कुण्डल, दौसा के स्थान पर प्रधानाध्यापक, राबामावि कुण्डल, दौसा संशोधित पढा जावे ।
2	18.03.19	2	4	उपकोष खानपुर के स्थान पर उपकोष मनोहरथाना संशोधित पढा जावे ।
3	19.03.19 (1)	10	3	श्री रामगोपाल पुरोहित, व्या. राआउमावि नरसाणा, सायला, जालोर के स्थान पर श्री रामगोपाल मीणा, व्या. राआउमावि नरसाणा, सायला, जालोर संशोधित पढा जावे ।
4	19.03.19 (2)	6	2 व 3	प्रधानाचार्य, राउमावि गहनकर, नगर, दौसा के स्थान पर प्रधानाचार्य, राउमावि गहनकर, नगर, भरतपुर व श्री हेमराज, व्या. राउमावि गहनकर, नगर, दौसा के स्थान पर श्री हेमराज, व्या. राउमावि गहनकर, नगर, भरतपुर संशोधित पढा जावे ।

शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे ।

  
वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर  
दिनांक : 25.03.19

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/संशोधन/18-19  
प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

